

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/56/2021

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-


श्री हनुमान पुत्र मोहर सिंह अहीर ग्राम लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य मोमनपुर तलवाड पोस्ट जागुवास तहसील कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर, बहरोड, जिला अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 04.05.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2021 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.04.2021 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर ने जरिये पत्र क्रमांक 3385-86 दिनांक 30.04.2021 से अवगत कराया कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना के बाबत कार्यालय के पत्रांक 2171 दिनांक 08.03.21 से सूचना अपीलार्थी को सप्रेषित कर दी गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जवाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया जिसके आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के प्राप्त जवाब के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक 04.05.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(नन्नुमल पहाडिया)  
जिला कलक्टर, अलवर  
2021/05/04